6

"आदेश"

श्री मौ0 इमरान पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार निवासी 385 खालापार, मुजफ्फरनगर द्वारा वार्ड परिसीमन की अनन्तिम अधिसूचना पर आंपत्ति की गयी है कि मौ0 खालापार के वार्ड पूर्व परिसीमन मे प्रथम से शुरू होकर षष्टम वार्ड थे इस क्षेत्र के लोग इन कक्षों को इसी नाम से जानते है तथा कक्ष सं0 22 खालापार प्रथम, कक्ष संख्या-35 खालापार द्वितीय, कक्ष संख्या-49 खालापार तृतीय, कक्ष सं0-50 खालापार चतुर्थ, कक्ष संख्या-47 खालापार पंचम, कक्ष संख्या-48 खालापार षष्टम, कक्ष सं0-46 खालापार सप्तम व कक्ष संख्या-40 खालापार अष्टम करने की कृपा करें।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 29.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि परिसीमन पर की गयी आपत्ति का परीक्षण किया गया, जिसमें आपत्तिकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध सही पाया गया। कक्ष सं0 22 खालापार प्रथम, कक्ष संख्या-35 खालापार द्वितीय, कक्ष संख्या-49 खालापार तृतीय, कक्ष सं0-50 खालापार चतुर्थ, कक्ष संख्या-47 खालापार पंचम, कक्ष संख्या-48 खालापार षष्टम, कक्ष सं0-46 खालापार सप्तम व कक्ष संख्या-40 खालापार अष्टम किया जाना औचित्यपूर्ण है, संस्तुति की जाती है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए वार्ड सं0- 22 खालापार प्रथम, वार्ड संख्या-35 खालापार द्वितीय, वार्ड संख्या-49 खालापार तृतीय, वार्ड सं0-50 खालापार चतुर्थ, वार्ड संख्या-47 खालापार पंचम, वार्ड संख्या-48 खालापार षष्टम, वार्ड सं0-46 खालापार सप्तम व वार्ड संख्या-40 खालापार अष्टम तद्नुसार संशोधित किया जाता है।

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर